इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 113] भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 मार्च 2013—फाल्गुन 27, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2013

क्र. 7754-वि.स.-विधान-2013.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 7 सन् 2013) जो विधान सभा में दिनांक 18 मार्च 2013 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ७ सन् २०१३

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०१३.

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा ७ का संशोधन.
४. धारा ९-ख का संशोधन.
५. धारा ९-ग का संशोधन.
६. धारा १० का संशोधन.
७. धारा ११ का संशोधन.
८. धारा १४ का संशोधन.
९. धारा १७ का संशोधन.
१०. धारा १८ का संशोधन.
११. धारा २० का संशोधन.
१२. धारा २१-क का अंत:स्थापन.
१३. धारा २६ का संशोधन.
१४. धारा ३७-क का अंत:स्थापन.
१५. धारा ५७ का संशोधन.

१६. धारा ५८ का संशोधन.
१७. धारा ६२ का संशोधन.
१८. धारा ७१ का संशोधन.
१९. अनुसूची-१ का संशोधन.
२०. अनुसूची-२ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ७ सन् २०१३.

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०१३

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०१३ है.

(२) (क) इस संशोधन अधिनियम की धारा ५ के उपबंध १ अप्रैल, २०१२ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;

(ख) इस संशोधन अधिनियम की धारा ८ के खण्ड (सात) के उपबंध १७ सितम्बर, २०१२ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;

(ग) इस संशोधन अधिनियम की धारा १९ के खण्ड (दो) के उपबंध १ अप्रैल, २००६ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;

(ग) इस संशोधन अधिनियम के शेष उपबंध १ अप्रैल, २०१३ से प्रवृत्त होंगे.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,—

(एक) खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ङ क) ''आकस्मिक व्यापारी'' से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो मालिक, अभिकर्ता या अन्य किसी हैसियत में या तो नगदी के या आस्थगित भुगतान के बदले में या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले में मध्यप्रदेश राज्य में माल का क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण करने का या किसी प्रदर्शनी-सह-विक्रय का संचालन करने का यदा-कदा व्यवहार करता है;'';

(दो) खण्ड (फ) में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (पांच) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(छह) अनुसुची-२ के भाग-तीन क में यथाविनिर्दिष्ट मदिरा के विक्रय के लिए, किसी व्यापारी द्वारा प्राप्त किए गए या प्राप्त किए जाने योग्य मूल्यवान प्रतिफल की रकम मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ (क्र. २ सन् १९१५) के साथ पठित सामान्य अनुज्ञप्ति शर्तें के नियम सोलह के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्रय कीमत के बराबर होना समझी जाएगी.''.

(तीन) खण्ड (म) में, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तुक अनुसूची-२ के भाग-तीन क में यथाविनिर्दिष्ट मदिरा, जिस पर धारा ९ के अधीन कर देय है और जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ (क्र. २ सन् १९१५) के अधीन एफ. एल. २/एफ. एल. ३/एफ. एल. ३-ए/एफ. एल. ४/एफ. एल. ४-ए लायसेंस के धारक

व्यापारी से भिन्न किसी व्यापारी ने किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) की धारा ४ के अर्थ के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के भीतर क्रय किया है, इस खण्ड के प्रयोजन के लिए ''करदत्त माल'' होगा.''.

धारा ७ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ७ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(घ) यदि ठेकेदार, आयुक्त के समाधानप्रद रूप में, विहित रीति में यह साबित कर देता है कि उप-ठेकेदार द्वारा यथास्थिति पूर्णत: या अंशत: निष्पादित की जा रही संकर्म संविदा के संबंध में उप-ठेकेदार ने धारा ११-क के अधीन प्रशमन का विकल्प लिया है, तो ठेकेदार यथा स्थिति पूर्णत: या अंशत: निष्पादन में प्रदाय किए गए माल की कुल राशि (टर्न ओवर) पर कर का भुगतान करने का दायी नहीं होगा.''.

धारा ९-ख का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ९-ख में, उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(४क) उपधारा (४) में किसी प्रतिकूल बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, जहाँ कोई भवन निर्माता विहित कालावधि के पश्चात् किन्तु ३० जून, २०१३ के पूर्व, उपधारा (३) के अधीन नामांकन प्रमाण-पत्र के प्रदान किए जाने के लिए आवेदन करता है, तब वह इस धारा के उपबंधों के अनुसार आगत कर की रिबेट का दावा करने के लिये पात्र हो सकेगा अथवा उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा.''.

धारा ९-ग का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ९-ग में, उपधारा (४) में, खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(च) यदि कोई परेषक या परेषिती इस उपधारा द्वारा या के अधीन यथाअपेक्षित कर की पूर्णत: या अंशत: कटौती करने में असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात् भुगतान करने में असफल रहता है, तो वह ऐसे असफल रहने पर ऐसे कर के संबंध में उपधारा (१) के अधीन कर का भुगतान करने के लिये दायी परिवहनकर्ता समझा जाएगा.''.

धारा १० का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा १० में, उपधारा (१) में, स्पष्टीकरण में, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएं, अर्थात्:—

''परन्तु अनुसूची-१ में विनिर्दिष्ट माल, जो धारा १४ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के द्वितीय परन्तुक के अधीन अधिसूचित किए जाएं, के विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपभोग किए गए खण्ड (ख) में निर्दिष्ट माल के संबंध में और इस प्रकार विनिर्मित या प्रसंस्कृत माल का भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से भिन्न रूप से व्ययन किए जाने पर, ऐसा कर २ प्रतिशत की दर से उद्गृहीत किया जाएगा:

परन्तु यह और कि अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट माल, जो धारा १४ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के प्रथम परन्तुक के अधीन अधिसूचित किए जाएं, के विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपभोग किए गए खण्ड (ग) में निर्दिष्ट माल के संबंध में और इस प्रकार विनिर्मित या प्रसंस्कृत माल का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से भिन्न रूप से व्ययन किए जाने पर, ऐसा कर २ प्रतिशत की दर से उद्गृहीत किया जाएगा.''.

धारा ११ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ११ में, उपधारा (१) में, शब्द ''साठ लाख'' के स्थान पर, शब्द ''एक करोड़ रुपए'' स्थापित किए जाएं.

धारा १४ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा १४ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट माल, जो कि अधिसूचित किए जाएं, के विनिर्माण में उपभोग किए गए माल के संबंध में और इस प्रकार विनिर्मित माल का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में, विक्रय से भिन्न रूप से व्ययन किए जाने पर, वह ऐसे आगत कर की राशि, जो २ प्रतिशत से अधिक है, के आगत कर रिबेट का दावा करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा :

परन्तु यह और कि अनुसूची-१ में विनिर्दिष्ट माल, जो अधिसूचित किए जाएं, के विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपभोग किए गए माल के संबंध में और इस प्रकार विनिर्मित या प्रसंस्कृत माल का भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से भिन्न रूप से व्यय किए जाने पर, वह ऐसे आगत कर की राशि, जो २ प्रतिशत से अधिक है, के आगत कर रिबेट का दावा करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा.'';

(दो) उपधारा (१ क क) में, शब्द, ''जो ऐसी प्राकृतिक गैस के क्रय मूल्य, आगत कर के शुद्ध के ५ प्रतिशत से अधिक है'' का लोप किया जाए;

(तीन) उपधारा (१ क च) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(१ क च) ऐसे निर्बंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-२ के भाग-तीन क में यथाविनिर्दिष्ट टिम्बर, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात् क्रय करता है और इस प्रकार क्रय किए गए टिम्बर का उपयोग, तैयार फर्नीचर को छोड़कर, अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण में करता है और इस प्रकार विनिर्मित माल का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विक्रय किया जाता है तो वह ऐसे आगत कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा, ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा.'';

(चार) उपधारा (१ क च) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(१क छ) उपधारा (६) के खण्ड (नौ) में किसी प्रतिकूल बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी और ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी धारा ९-क के अधीन अधिसूचित माल, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से, उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात् क्रय करता है और इस प्रकार क्रय किए गए माल का अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण में उपभोग करता है, और इस प्रकार विनिर्मित माल का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विक्रय किया जाता है, तब वह ऐसे आगत कर की राशि के आगत कर की रिबेट का दावा, ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी की विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा.'';

(पांच) उपधारा (५) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (एक) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तुक विनिर्मित माल के उपधारा (१) के खण्ड (क) के प्रथम परन्तुक के अधीन अधिसूचित माल होने की दशा में, २ प्रतिशत की दर से राशि देय होगी.";

(छह) उपधारा (६) में, खण्ड (चार) में, शब्द अंक, और अक्षर "और ११-क" का लोप किया जाए;

(सात) उपधारा (६-क) में, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तुक यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी (विक्रेता व्यापारी) ने किसी अवधि की विवरणी प्रस्तुत कर दी है, तो विक्रेता व्यापारी से किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा उस अवधि के दौरान किए गए क्रय के संबंध में कर का इस उपधारा के प्रयोजन के लिए सामान्यत: भुगतान किया गया समझा जाएगा, जब तक कि यह अन्यथा न पाया जाए."

धारा १७ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा १७ में, उपधारा (४) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन यथाअपेक्षित रजिस्ट्रकरण प्रमाण-पत्र प्रदाय करने के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, आयुक्त आवेदक को आवेदन प्राप्ति की तारीख से एक कार्य दिवस के भीतर विहित प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदाय करेगा.".

धारा १८ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा १८ में,—

(एक) उपधारा (१), खण्ड (क) में, परन्तुक का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(४ क) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी विवरणी के साथ क्रय और विक्रय का विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो आयुक्त, ऐसे व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसे यह निर्देश दे सकेगा कि वह शास्ति के रूप में ऐसे विक्रय और क्रय की कुल राशि (टर्न ओवर) के १ प्रतिशत के समतुल्य राशि, दस हजार रुपए के अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए, चुकाए.".

धारा २० का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा २० में, उपधारा (६) में, खण्ड (क) में, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु जहाँ कोई व्यापारी विहित कालावधि के पश्चात् स्वयं को स्वेच्छापूर्वक रजिस्ट्रीकृत कराता है और अरजिस्ट्रीकृत कालावधि से संबंधित कर का धारा १८ की उपधारा (४) के अधीन विनिर्दिष्ट दर से, कर के भुगतान का त्रैमासिक दायित्व मानते हुए, ब्याज सहित भुगतान करता है, तो इस उपधारा के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति निर्धारित कर की राशि का पच्चीस प्रतिशत के बराबर रकम होगी.".

धारा २१-क का अंत:स्थापन.

१२. मूल अधिनियम की धारा २१ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''२१-क. आकस्मिक व्यापारियों के संबंध में विशेष उपबंध.

इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, आयुक्त आकस्मिक व्यापारी को, कर के भुगतान पर, राज्य के बाहर से माल लाने के लिए अनुमति दे सकेगा.''.

धारा २६ का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम की धारा २६ में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(२क) आयुक्त, उपधारा (१) और (२) के अधीन कर की कटौती के लिए दायित्वाधीन किसी व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को छोड़कर, को विहित रीति में नामांकित करेगा.''.

धारा ३७-क का अंत:स्थापन.

१४. मूल अधिनियम की धारा ३७ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''३७-क. अनन्तिम प्रतिदाय

(१) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, जो किसी वर्ष की अपनी विवरणियों में धारा १४ की उपधारा (४) के खण्ड (दो) के अधीन आगत कर रिबेट के प्रतिदाय का दावा करता है, निर्धारण के लंबित रहते हुए, वर्ष की समाप्ति के पश्चात् साठ दिवस के भीतर असमायोजित आगत कर रिबेट के, अनन्तिम प्रतिदाय हेतु आयुक्त को आवेदन कर सकेगा.

(२) ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी कि आयुक्त आवश्यक समझे, और अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर, आयुक्त निर्धारण लंबित रहते हुए, दावाकृत प्रतिदाय के ७५ प्रतिशत के अधिकतम के अध्यधीन, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो केलेण्डर मास के भीतर, अनन्तिम प्रतिदाय प्रदान कर सकेगा.

(३) अनन्तिम प्रतिदाय से संबंधित वर्ष का धारा २० के अधीन निर्धारण यथासंभव शीघ्र, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से बारह केलेण्डर मास के अपश्चात् नहीं, किया जाएगा.

(४) यदि, निर्धारण पर, उपधारा (२) के अधीन प्रदाय किया गया प्रतिदाय अवधारित प्रतिदाय से अधिक पाया जाता है, तो ऐसा आधिक्य इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर के रूप में वसूल किया जाएगा और ऐसे कर पर अनन्तिम प्रतिदाय प्रदाय करने की तारीख से निर्धारण की तारीख तक की कालावधि के लिए धारा १८ की उपधारा (४) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट दर से ब्याज प्रभारित किया जाएगा.''.

धारा ५७ का संशोधन.

१५. मूल अधिनियम की धारा ५७ में, उपधारा (१) में, शब्द ''अन्य प्रवर्ग के पदाधिकारियों द्वारा उसकी सहायता की जाएगी'' के स्थान पर, शब्द ''अन्य प्रवर्ग के पदाधिकारियों या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी एजेन्सी के पदाधिकारियों द्वारा उसकी सहायता की जाएगी'' स्थापित किए जाएं.

धारा ५८ का संशोधन.

१६. मूल अधिनियम की धारा ५८ में,—

(एक) उपधारा (१) में,—

(क) प्रथम बार आए शब्द ''कोई यान'' के स्थान पर, शब्द ''माल ले जाने वाला कोई यान'' स्थापित किए जाएं.

(ख) पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु यदि माल परिवहित करने वाला परिवहनकर्ता, दस्तावेजों के साथ, इलेक्ट्रानिक रूप में प्राप्त किया गया अभिवहन पास (ट्रांजिट पास), जिसकी विशिष्टियां, मध्यप्रदेश राज्य में प्रवेश करने की तारीख और लगभग समय सहित, मध्यप्रदेश राज्य में प्रवेश करने के पूर्व विभाग के अधिकारिक वेब पोर्टल पर पूर्णत: प्रविष्ट कराई गई हों, अपने साथ रखता है, तो राज्य में उसके प्रवेश करने के पश्चात् प्रथम जाँच चौकी के जाँच चौकी अधिकारी से अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) प्राप्त करने की अपेक्षा का अनुपालन किया गया, समझा जाएगा.";

(दो) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(२) प्रवेश स्थान पर वह जाँच चौकी अधिकारी जो अभिवन पास (ट्रांजिट पास) जारी करता है, उस स्थान के जहाँ से परिवहनकर्ता यह घोषणा करता है कि माल राज्य के बाहर ले जाया जाएगा, निकट की जाँच चौकी या नाके के जाँच चौकी अधिकारी को, अपने द्वारा जारी किए गए अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) में अंतर्विष्ट जानकारी सूचित करेगा. यदि अभिवहन पास की प्राप्ति के एक सप्ताह, यानान्तरण की दशा में १५ दिवस के भीतर वह यान या माल जो अभिवहन पास के अंतर्गत आता हो, निर्गम स्थान पर नहीं पहुंचता है तो निर्गम स्थान या प्रवेश स्थान पर की जाँच चौकी या नाके की जाँच चौकी अधिकारी या धारा ५७ की उपधारा (५) के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी, जिसके संज्ञान में यह आता है, परिवहनकर्ता से ऐसी शास्ति वसूल करने की कार्यवाही शुरू करेगा जो कि धारा ५७ के उपबंधों के अधीन उद्गृहीत की जा सकती थी:

परन्तु यानान्तरण की दशा में, आयुक्त, आवेदन पर, पन्द्रह दिवस की कालावधि बढ़ा सकेगा.";

(तीन) उपधारा (३) को उपधारा (४) के रूप में पुन: क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुन: क्रमांकित उपधारा (४) के पूर्व, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(३) जब राज्य के बाहर के किसी स्थान से आकर तथा राज्य के बाहर के किसी अन्य स्थान को राज्य में से होकर जाने वाला माल, सड़क के साथ-साथ रेल द्वारा और इसके उलट, ले जाया जाता है, और यानान्तरण राज्य के भीतर होता है, इस धारा के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित माल के ऐसे अभिवहन को लागू होंगे.".

धारा ६२ का संशोधन.

१७. मूल अधिनियम की धारा ६२ में,—

(एक) उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(१क) "माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति" जो राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के बाहर के किसी स्थान को ले जाए जा रहे धारा ५७ की उपधारा (२) के अधीन अधिसूचित माल के मध्यप्रदेश राज्य में यानान्तरण में संलग्न है, ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए स्वयं को नामांकित कराएगा और यानान्तरित किए गए माल का पत्रक ऐसे प्ररुप में, ऐसी रीति में, ऐसी कालावधि के लिए, ऐसी तारीख तक और ऐसे प्राधिकारी को, जैसा कि विहित किया जाए, प्रस्तुत करेगा.";

(दो) उपधारा (३) में,—

(क) शब्द ''उक्त उपधारा'' के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर ''उक्त उपधारा या उपधारा (१ क)'' स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (एक) में, शब्द ''और'' का लोप किया जाए;

(ग) खण्ड (दो) को खण्ड (तीन) के रूप में पुन: क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुन: क्रमांकित खण्ड (तीन) के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(दो) यदि उल्लंघन उपधारा (१क) के उपबंधों का हो तो तीन हजार रुपए, और''.

धारा ७१ का संशोधन.

१८. मूल अधिनियम की धारा ७१ में, उपधारा (२) में,—

(एक) खण्ड (ङ क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ङ क) वह रीति जिसमें धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन उप-ठेकेदार द्वारा कर के भुगतान को, और ठेकेदार या उप-ठेकेदार द्वारा प्रशमन के विकल्प को साबित किया जाएगा;'';

(दो) खण्ड (ठ) में, उपखण्ड (आठ-क) को उपखण्ड (आठ-ख) के रूप में पुन: क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुन: क्रमांकित उपखण्ड (आठ-ख) के पूर्व, निम्नलिखित उपखण्ड अंत: स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(आठ-क) वह रीति जिसमें धारा २६ की उपधारा (२क) के अधीन कोई व्यक्ति नामांकित किया जाएगा;'';

(तीन) खण्ड (ब) में, उपखण्ड (चार) में, मद (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

(ङ) धारा ६२ की उपधारा (१क) के अधीन, वह रीति तथा समय जिसके भीतर कोई व्यक्ति स्वयं को नामांकित कराएगा, और वह प्ररूप तथा वह रीति जिसमें, वह कालावधि जिसके लिए, वह तारीख जिस तक और वह प्राधिकारी जिसको पत्रक प्रस्तुत किया जाएगा;''.

अनुसूची-१ का संशोधन.

१९. मूल अधिनियम की अनुसूची-१ में,—

(एक) अनुक्रमांक १ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

(१)	(२)	(३)
''१क	रोटावेटर'';	

(दो) अनुक्रमांक १३ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(१)	(२)	(३)
''१३क	विद्युत ऊर्जा (इलेक्ट्रिकल एनर्जी) मीटर्स	जब मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड या मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड या मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड या किसी वितरण लायसेंस धारक या वितरण फ्रेंचाईजी या किसी भी नाम का अन्य कोई व्यक्ति जो विद्युत् अधिनियम, २००३ (२००३ का ३६)

(१)	(२)	(३)
		के उपबंधों के अधीन मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत् वितरण हेतु अधिकृत हो, द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाए और उसके लिए रेंट या किसी भी नाम का अन्य मूल्यवान प्रतिफल प्रभारित किया जाए'';

(तीन) अनुक्रमांक ४७ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(१)	(२)	(३)
''४७	(एक) औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, १९५५ (१९५५ का १६) की अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट की गई औषधीय तथा प्रसाधन निर्मितियों; और	
	(दो) मदिरा, से भिन्न माल, जिन पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ (क्रमांक २ सन् १९१५) के अधीन शुल्क उद्गृहीत किया जाता है या किया जा सके''.	

२०. मूल अधिनियम की अनुसूची-२ में,— **अनुसूची-२ का संशोधन.**

(एक) भाग-दो में,—

(क) अनुक्रमांक १६ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(१)	(२)	(३)
''१६क	इमल्सीफाईड डामर	५'';

(ख) अनुक्रमांक ३० में, मद (एक) के सम्मुख, कॉलम (२) में, शब्द ''टर्बो-प्राप एअरक्राफ्ट'' के स्थान पर, शब्द ''अनुसूचित एयरलाईनो द्वारा प्रचालित चालीस हजार किलो ग्राम से कम के अधिकतम उठान दृव्यमान के वायुयान'' स्थापित किए जाएं;

(ग) अनुक्रमांक ५१ के सम्मुख, कॉलम (२) में,—

(१) प्रविष्टि (१) (ग्यारह) के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

''(बारह) टेबलेट कम्प्यूटर

(तेरह) कन्वर्टिबल लेपटाप कम्प्यूटर'';

(२) प्रविष्टि (३) (सात) के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"(आठ) सॉलिड स्टेट ड्राइव्स

(नौ) मेमोरी कार्ड्स";

(घ) अनुक्रमांक ५५ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(१)	(२)	(३)
"५६	मदिरा जब मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ के अधीन एफ. एल. २/एफ. एल. ३/एफ. एल. ३-ए/एफ. एल. ४/एफ. एल. ४-ए लायसेंस के धारक किसी व्यापारी द्वारा विक्रय की जाए.	५
५६क	मिल्किंग मशीन	५";

(ङ) अनुक्रमांक ५९ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(१)	(२)	(३)
"६०	नेफ्था	५";

(च) अनुक्रमांक ६२ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(१)	(२)	(३)
"६२क	ऑक्सीजन	५";

(छ) अनुक्रमांक ६६क के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(१)	(२)	(३)
"६६ख	प्री-फेब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर	५";

(ज) अनुक्रमांक ८३ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(१)	(२)	(३)
"८३क	स्टील बारबेड वायर, स्टील वायर वेल्डेड मैश और स्टील चेन लिंक.	५";

(झ) अनुक्रमांक ८४क के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(१)	(२)	(३)
"८४ख	सभी प्रकार के नमकीन (बिस्किट और बेकरी सामान को छोड़कर)	५";

(ञ) अनुक्रमांक ८६ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(१)	(२)	(३)
"८७	टॉफी, लॉजेंजेस, चाकलेट, कैंडी, बबल गम, च्यूईंग गम और पिपरमेंट ड्राप्स, जिनका विक्रय मूल्य १०० रुपए प्रतिकिलो से अधिक न हो.	५";

(दो) भाग-तीन क में, अनुक्रमांक ५ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(१)	(२)	(३)
"६	मदिरा जब मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ के अधीन एफ. एल. २/एफ. एल. ३/एफ. एल. ३-ए/एफ. एल. ४/एफ. एल. ४-ए लायसेंस के धारक किसी व्यापारी से भिन्न व्यापारी द्वारा विक्रय की जाए.	५";

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

विधान सभा में वर्ष २०१३-१४ के लिये बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिये गये भाषण के भाग-दो में अंतर्विष्ट कराधान प्रावधानों को क्रियान्वित करने तथा कतिपय अन्य विषयों जैसे आकस्मिक व्यापारी को राज्य के बाहर से माल लाने की सुविधा देने, धारा ९-ग के अधीन काटे गए कर के संग्रहण को सुनिश्चित करने, विवरणियों के साथ क्रय और विक्रय का विवरण प्रस्तुत न करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने, अरजिस्ट्रीकृत व्यापारियों को रजिस्ट्रीकरण कराने के लिये प्रोत्साहित करने आदि की दृष्टि से मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) में समुचित संशोधन किए जाना प्रस्तावित हैं. कतिपय अन्य उपबंधों का युक्तियुक्तकरण करने के लिए भी अवसर का लाभ भी ले लिया गया है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १२ मार्च, २०१३.

राघवजी
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन.

प्रस्तावित मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०१३ के जिन खण्डों द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड ३ ठेकेदार या उप-ठेकेदार द्वारा कर के भुगतान तथा प्रशमन का विकल्प सुनिश्चित किये जाने,

खण्ड ८ कतिपय परिस्थितियों में इनपुट्स पर ४ प्रतिशत के स्थान पर २ प्रतिशत कर भार होने से संबंधित अनुसूची-१ एवं अनुसूची-२ के मालों को अधिसूचित किये जाने,

खण्ड १३ कर की कटौती के लिए दायित्वाधीन किसी व्यक्ति को नामांकित किये जाने,

खण्ड १५ जांच चौकी अधिकारी की सहायता के लिए किसी एजेन्सी के पदाधिकारियों को प्राधिकृत करने हेतु आयुक्त को अधिकृत किये जाने, तथा

खण्ड १७ एवं १८ माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति द्वारा स्वयं को नामांकित किये जाने की रीति, समयावधि, प्रारूप तथा प्राधिकारी की कालावधि सुनिश्चित किये जाने,

के संबंध में नियम बनाए जायेंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.